

# बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

दिनांक 11.07.12 को आयोजित पी. सी. सी. बैठक की कार्यवाही

## बैठक में उपस्थिति :-

1. दीपक कुमार सिंह  
प्रबंध निदेशक, बियाडा पटना।
2. ओ. पी. पाठक, उप उद्योग निदेशक  
उद्योग निदेशक, बिहार पटना के प्रतिनिधि।
3. मृत्युंजय कुमार, उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग सह आंतरिक वित्तिय सलाहकार।  
प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, पटना।
4. एस. पी. राय  
बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना के प्रतिनिधि।
5. के. पी. एस. केसरी  
अध्यक्ष, बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना।
6. संजय खेमका  
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पटना के प्रतिनिधि (विशेष आमंत्रित सदस्य)।
7. भोगेन्द्र लाल  
कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना एवं भागलपुर।
8. अखिलानंद  
कार्यकारी निदेशक, बियाडा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर।

## क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर

### वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी भागलपुर

1. सर्वश्री आर्यन, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर — अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो पी०सी०सी० की बैठक से अनुपस्थित रह रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भूआवंटन में कोई अभिरुचि नहीं रख रहे हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
2. सर्वश्री सदन कैंटीन, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर ।
3. सर्वश्री मां कैंटीन बिल्डींग, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर ।  
उपरोक्त क्रम सं० 2 एवं 3 के द्वारा औद्योगिक प्रांगण बरारी के कैंटीन भवन के आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। समिति के द्वारा अलग से नीति निर्धारण कर कैंटीन भवन का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4. सर्वश्री पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 8000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इस तरह के इकाई द्वारा बड़ी मात्रा में waste water बहाया जाता है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही इस तरह कि परियोजना वर्तमान समय में Viable नहीं है। समिति के समक्ष आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया कि उन्हें अन्य परियोजना हेतु भूमि आवंटन किया जाय। समिति के द्वारा अन्य

परियोजना हेतु परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने तक आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

5. **सर्वश्री आर०एन० उद्योग, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा अतिरिक्त भूमि रिजेनरेटेड कॉटन उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 8000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्लॉट सं०-डी 3 सी के रिक्त होने के उपरान्त ही इनके आवेदन पर विचार किया जायगा। इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

6. **सर्वश्री शिवाज वर्ल्ड, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** द्वारा 3-4 स्टार होटल एण्ड अम्यूजेन्ट पार्क की स्थापना हेतु रकवा 4.5 एकड़ भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। दिनांक 20.09.11 की पी०सी०सी० में आवेदक को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में आवेदक को पत्र भी दिया गया था। आवेदक द्वारा अद्यतन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक भू-आवंटन एवं उद्योग स्थापना में कोई अभिरूचि नहीं रख रहे हैं। समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

7. **सर्वश्री दिव्यांश इन्टरप्राइजेज, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो पी०सी०सी० की बैठक से अनुपस्थित रह रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भू-आवंटन एवं उद्योग स्थापना में कोई अभिरूचि नहीं रख रहे हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

8. **सर्वश्री राधा आटो ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो पी०सी०सी० की बैठक से अनुपस्थित रह रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भू-आवंटन एवं उद्योग स्थापना में कोई अभिरूचि नहीं रख रहे हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

9. **सर्वश्री पिंकी इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** द्वारा इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु रकवा 15000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर में इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु रकवा 8800 वर्गफीट भूमि भूखण्ड सं० डी०-54(पी) से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 4 माह के अन्दर स्थल पर असैनिक निर्माण कार्य कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया।

10. **सर्वश्री सारिका गैस एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

11. **सर्वश्री अंजना फूड इंडस्ट्रीज, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** द्वारा दाल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 7500 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर, दाल उद्योग की

स्थापना हेतु रकवा 5000 वर्गफीट भूमि भूखण्ड सं० एन०एस० प्लॉट नियर सी०ई०पी०टी० से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 8 माह के अन्दर स्थल पर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया।

12. **सर्वश्री अन्नया फूड प्रोडक्ट्स कंपनी, वृहत् औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर –** अनुपस्थित। इनके आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
13. **सर्वश्री हिन्दुस्तान मिडीया भेंचर्स लिमिटेड, वृहत् औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** द्वारा हिन्दुस्तान दैनिक अखवार के लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हेतु रकवा 43500 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को वृहत् औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर में हिन्दुस्तान दैनिक अखवार के लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हेतु रकवा 21,800 वर्गफीट भूमि भूखण्ड सं० डी०-13 से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 8 माह के अन्दर स्थल पर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद से अनुमोदन के पश्चात् ही आवंटन पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

14. **सर्वश्री रूलर डेभलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वृहत् औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** द्वारा अगरबत्ती स्टीक्स उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को वृहत् औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर में अगरबत्ती स्टीक्स उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5000 वर्गफीट भूमि भूखण्ड सं० डी०-14(पी) से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 6 माह के अन्दर स्थल पर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया।

15. **सर्वश्री एम० भी० होटल एण्ड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, वृहत् औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** द्वारा आई०टी० पार्क की स्थापना हेतु रकवा 152,460 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। वर्तमान में इतना बड़ा भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा इकाई को दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखंडों पर बियाडा के लंबित दावों का निष्पादन करने तक आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

16. **सर्वश्री स्वास्तिक प्लास्ट् औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** द्वारा पी०भी०सी० पाईप एण्ड रोटोमोल्डेड प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 30000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को वृहत् औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर में पी०भी०सी० पाईप

एण्ड रोटोमोल्डेड प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20,000 वर्गफीट भूमि भूखण्ड सं० डी०-11 से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 10 माह के अन्दर स्थल पर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से अनुमोदन के पश्चात् ही आवंटन पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

17. **सर्वश्री एज्यूम मिनरल वाटर, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा मिनरल वाटर उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 15000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इस तरह के इकाई द्वारा बड़ी मात्रा में waste water बहाया जाता है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही इस तरह कि परियोजना वर्तमान समय में Viable नहीं है। अतः समिति द्वारा सम्यक रूप से आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

18. **सर्वश्री कावेरी इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा आई०टी०/बिजनेस/टेलकम पार्क की स्थापना हेतु रकवा 100,000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी में इस परियोजना हेतु उपयुक्त भूखण्ड रिक्त नहीं होने के कारण समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवेदक को राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से परियोजना का अनुमोदन लेने का निर्देश दिया गया।

19. **सर्वश्री आशीष इंडस्ट्रीज, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इस तरह के इकाई द्वारा बड़ी मात्रा में waste water बहाया जाता है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही इस तरह कि परियोजना वर्तमान समय में Viable नहीं है। अतः समिति द्वारा सम्यक रूप से आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

20. **सर्वश्री अंग फिड्स, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

21. **सर्वश्री मोहन फूड्स, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा मशाला उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। इकाई के बगल में भूखण्ड सं० डी 55 पार्ट जो रद्दीकरण के पश्चात अपीलीय न्यायालय में है। यदि अपीलीय न्यायालय के द्वारा रद्दीकरण को संपूष्ट किया जाता है तो उक्त भूखण्ड इकाई को आवंटन कर दिया जाय अन्यथा आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

22. **सर्वश्री अमित सिंह औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** – अनुपस्थित। अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

23. **सर्वश्री जानकी इंडस्ट्रीज, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा फलाई ऐस ब्रीक्स उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 80,000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी में इस परियोजना हेतु उपर्युक्त भूखण्ड रिक्त नहीं होने के कारण समीक्षोपरान्त इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

24. **सर्वश्री न्यू पाटलिपुत्रा गैस मैन्यूफैक्चर्स औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** द्वारा इंडस्ट्रीय एवं मेडिकल ऑक्सीजन, लिक्वीड गैसीयस नाईट्रोजन एवं कार्बन डाईऑक्साइड के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 40000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर में इंडस्ट्रीय एवं मेडिकल ऑक्सीजन, लिक्वीड गैसीयस नाईट्रोजन एवं कार्बन डाईऑक्साइड के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 21800 वर्गफीट भूमि भूखण्ड सं० डी०-5 से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 10 माह के अन्दर स्थल पर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से अनुमोदन के पश्चात् ही आवंटन पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

25. **सर्वश्री ओसवाल एग्रो फूड, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा फ्लोर मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20,000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार- विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई के आसपास रिक्त भूमि उपलब्ध नहीं रहने के फलस्वरूप इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

26. **सर्वश्री नानावती ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा (ए०एन०एम०) नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हेतु रकवा 20,000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार- विमर्श और समीक्षा की गई। आवेदक को निर्देश दिया गया कि स्वास्थ्य विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने तथा परियोजना को राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से अनुमोदन करा लें। इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

27. **सर्वश्री लाईफ प्लस, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट कॉर्न फ्लैक्स, सोया पनीर, फ्रूट जूस इत्यादि उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 65340 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार- विमर्श और समीक्षा की गई। आवेदक स्वयं उपस्थित नहीं थे एवं इनके प्रतिनिधि को पूर्ण जानकारी नहीं थी। समीक्षोपरान्त आवेदक को राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से परियोजना अनुमोदन कराने का निदेश दिया गया तथा इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

28. **सर्वश्री एकलव्य इंस्टीच्यूट ऑफ हाईहर एजुकेशन औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

29. **सर्वश्री रवि बोर्ड मिल, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर** द्वारा कुट एण्ड कार्टून उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार- विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर में कुट एण्ड कार्टून

उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5750 वर्गफीट भूमि भूखण्ड सं० एन०एस० प्लॉट स्पेशल टाईप शेड के नजदीक से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 6 माह के अन्दर स्थल पर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सार्वजनिक स्थल का प्रयोग कूट सुखाने इत्यादि में नहीं करेंगे। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया।

30. **सर्वश्री ग्रीन गोल्ड वर्मी कम्पोज्ड उद्योग, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा वर्मी कम्पोज्ड वायो मैन्यू उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 50,000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उपर्युक्त भूखण्ड उपलब्ध नहीं रहने के कारण इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

31. **सर्वश्री शिवांगी फूड प्रोसेसिंग एण्ड कम्पनी, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा आटा प्लान्ट उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 12,000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि इकाई को पूर्व में आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का औद्योगिक कार्य नहीं किया गया है। अतः समीक्षोपरान्त आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इकाई के द्वारा यह कहा गया कि वे पूर्व आवंटित भूमि पर 15 दिसम्बर तक उत्पादन कार्य प्रारंभ कर देंगे। समिति के द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निर्देश दिया गया।

32. **सर्वश्री आनंद एग्रो इन्डस्ट्रीज वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा फ्लावर मिल की स्थापना हेतु रकवा 15000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर में फ्लोर मिल की स्थापना हेतु रकवा 6290 (34' x 185') वर्गफीट भूमि भूखण्ड सं० डी०-17 पार्ट से अतिरिक्त आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 5 माह के अन्दर स्थल पर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया।

33. **सर्वश्री साई पोलि प्रोडक्ट, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर** द्वारा कप एवं ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु रकवा-10000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर में कप एवं ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु शेड सं० सी 9 (रकवा 2200 वर्गफीट) आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 6 माह के अन्दर स्थल पर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया।

34. **सर्वश्री उषा एयर टेक, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर, द्वारा औद्योगिक ऑक्सीजन गैस एवं मेडिकल ऑक्सीजन गैस उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 43,560 वर्गफीट भूमि की माँग की गई।**

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर में ऑक्सीजन गैस एवं मेडिकल ऑक्सीजन गैस उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 21800 वर्गफीट भूमि प्लॉट संख्या डी०-12 से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 3 माह के अन्दर स्थल पर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया।

35. **सर्वश्री जैन कॉटन इन्डस्ट्रीज, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर द्वारा Cotton From Waste, Cloth and threads के उद्योग की स्थापना हेतु रकवा हेतु 43,560 वर्गफीट भूमि की माँग की गई।**

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर में रकवा-16500 प्लॉट संख्या-डी.एन.एस, शेड सं० सी.-10 (रकवा 2200 वर्गफीट) एवं शेड सं० सी 12 (रकवा 2200 वर्गफीट) आवंटित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 6 माह के अन्दर स्थल पर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक Undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद से अनुमोदन के पश्चात् ही आवंटन पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

36. **सर्वश्री शीतल एग्रो प्रोडक्ट, वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर द्वारा जागरी एवं एलाईड प्रोडक्ट उद्योग की स्थापना हेतु रकवा-44,000 वर्गफीट भूमि की माँग की गई।**

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। यह परियोजना अपने तरह की गिनी चुनी परियोजनाओं में है तथा इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रोजगार सृजित होंगे। इसलिए इसे प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। समीक्षोपरांत इकाई को वृहत औद्योगिक प्रांगण बरारी, भागलपुर में रकवा-32,800 वर्गफीट भूमि प्लॉट संख्या डी0-18 एवं डी 19 से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 6 माह के अन्दर स्थल पर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद से अनुमोदन के पश्चात् ही आवंटन पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

#### **औद्योगिक प्रांगण, लखीसराय**

37. **सर्वश्री लक्ष्मी राईस मिल, औद्योगिक प्रांगण लखीसराय द्वारा राईस मिल की स्थापना हेतु रकवा-1,750 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि की माँग की गई।**

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार-विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत इकाई को औद्योगिक प्रांगण, लखीसराय में शेड संख्या सी0-6 रकवा 1750 वर्गफीट का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

### औद्योगिक प्रांगण, पूर्णियाँ सिटी

38. **सर्वश्री के.के.के बॉयो मास पावर प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक प्रांगण, पूर्णिया सिटी** – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो पी०सी०सी० की बैठक से अनुपस्थित रह रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भूआवंटन में कोई अभिरुचि नहीं रख रहे हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
39. **सर्वश्री अटलांटिस हॉस्पिटल, औद्योगिक प्रांगण, पूर्णिया सिटी** – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो पी०सी०सी० की बैठक से अनुपस्थित रह रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भूआवंटन में कोई अभिरुचि नहीं रख रहे हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
40. **सर्वश्री प्रगति फूड प्रोडक्ट, औद्योगिक प्रांगण पूर्णिया सिटी** द्वारा सेवई एवं पापड़ उद्योग की स्थापना हेतु शेड सं० बी 5 (रकवा 15000 वर्गफीट) एवं खुली भूखण्ड रकवा 2000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि की माँग की गई।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार— विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को शेड संख्या बी0-5 रकवा 1500 वर्गफीट एवं खुली भूखण्ड रकवा 2000 वर्गफीट का अतिरिक्त आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
41. **सर्वश्री डी.जे. फ्रूट प्रोडक्ट, औद्योगिक प्रांगण पूर्णिया सिटी** द्वारा फ्रूट प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना हेतु 5,000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि की माँग की गई।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार— विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा-6,900 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि प्लॉट संख्या – 6(पार्ट) से आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
42. **सर्वश्री जय श्री प्रोडक्ट, औद्योगिक प्रांगण पूर्णिया सिटी** द्वारा कुरकुरे स्नेक्स उद्योग की स्थापना हेतु रकवा- 7300 वर्गफीट भूमि की माँग की गई।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार— विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा-7200 वर्गफीट भूमि प्लॉट संख्या – 6(पार्ट) से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 6 माह के अन्दर स्थल पर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक Undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया।
43. **सर्वश्री ओम साई ब्रिक्स इन्डस्ट्रीज, औद्योगिक प्रांगण पूर्णिया सिटी** – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
44. **सर्वश्री माँ शारदा राईस मिल, औद्योगिक प्रांगण पूर्णिया सिटी** द्वारा अरवा राईस मिल की स्थापना हेतु रकवा-15,000 वर्गफीट भूमि की माँग की गई।  
प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार—विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक प्रांगण पूर्णिया सिटी में अरवा राईस मिल की स्थापना हेतु रकवा 10,000 वर्गफीट प्लॉट संख्या सी०-10 से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि मार्च 2013 तक उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया।

### औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज

45. **सर्वश्री विनसम इन्टरनेशनल, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज**, द्वारा रॉ जूट प्रोक्यूरमेंट एवं प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना हेतु रकवा-1,72,800 वर्गफीट की माँग की गई।



प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार— विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक फॉरबिसगंज में रॉ जूट प्रोक्यूरमेंट एवं प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना हेतु रकवा 1,08,900 वर्गफीट प्लॉट संख्या 72,73,75, एवं 76 से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि मार्च 2013 तक उत्पादन कार्य प्रारंभ कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया। इसी इकाई को पूर्णिया में जूट पार्क हेतु जमीन आवंटित किया गया है। इसमें कुछ प्रक्रियों का अनुपालन बाकी है। उनका अनुपालन होने के बाद ही इस भूमि का आवंटन पत्र निर्गत किया जाये।

46. **सर्वश्री गुप्ता एण्ड सन्स ट्रेडरस प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज** द्वारा मल्टी परपस कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु रकवा—1,30,680 वर्गफीट भूमि की माँग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार— विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक फॉरबिसगंज में मल्टी परपस कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु रकवा 44151 वर्गफीट प्लॉट संख्या 63 पार्ट से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि सितम्बर 2012 से स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ करते हुए सितम्बर 2013 तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया।

47. **सर्वश्री न्यू क्रिएशन, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज** द्वारा मखाना एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स उद्योग की स्थापना हेतु रकवा—43,560 वर्गफीट भूमि की माँग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार— विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज में मात्र मखाला प्रोसेसिंग हेतु भूखण्ड सं० 30 पार्ट से रकवा—11,000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का भौतिक स्वामित्व प्राप्त होने की तिथि से 4 माह के अन्दर स्थल पर असैनिक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायगा। समिति द्वारा इस आशय का एक undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से अनुमोदन के पश्चात् ही आवंटन पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

48. **सर्वश्री ग्रीन ऑटोमोबाइल वर्क्स, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज** द्वारा वॉसिंग क्लीनींग ऑयलींग रिपेयरींग एवं फेब्रिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल के लिए रकवा—25,000 वर्गफीट भूमि की माँग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार— विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त परियोजना Viable नहीं होने के कारण आवदेन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

49. **सर्वश्री कोसी रसायन, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज** द्वारा माईको न्यूट्रेशन मिक्चर फर्टिलाइजर वर्मी कम्पोस्ट उद्योग की स्थापना हेतु 43,560 वर्गफीट भूमि की माँग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार—विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त परियोजना Viable नहीं होने के कारण आवदेन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

50. **सर्वश्री फूड प्लाजा, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज** द्वारा फूड प्लाजा उद्योग की स्थापना हेतु रकवा—20,000 वर्गफीट भूमि की माँग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार- विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत परियोजना औद्योगिक क्षेत्र में मान्य नहीं होने के कारण नहीं होने के कारण आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

51. **सर्वश्री साविगोर पॉवर रिसोर्सेज प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज – अनुपस्थित।** आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
52. **सर्वश्री जेबा इन्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंज** द्वारा सिमेंट जाली पिलर एवं सैनेटरी उद्योग की स्थापना हेतु 10,000 वर्गफीट भूमि की माँग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति में सम्यक् विचार- विमर्श और समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को रकवा-2178 वर्गफीट भूमि प्लॉट संख्या 62 (पार्ट) से आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

ह०/—

**(भोगेन्द्र लाल)**

कार्यकारी निदेशक,

बियाडा, पटना एवं भागलपुर।

ह०/—

**(दीपक कुमार सिंह)**

प्रबंध निदेशक, बियाडा